HPFD-F05/170/2025-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड, लौंगबुड,
ि ामला, हिमाचल प्रदे ा–1710001

दिनांक ि ामला–1

विषयः **Diversion of 1.21 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (KMs. 0/00 to 2/003) within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, H.P.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/18/2019/एफ0सी0/801 दिनांक 31/07/2020 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ण परियोजना के लिए आव यक गैर–वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ण **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत रा ाी कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेद ाी प्रजातियों को लगाया जाएगा। सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि को अतिम स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के नाम किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) सी0ए0 क्षेत्र की सही जानकारी वनमण्डलाधिकारी के पत्र में द ााई गई है। सम्बन्घित दस्तावेज संलग्न है।

(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) दण्डात्मक प्रतिपूरक पौधारोपण की रा ि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर लिया गया है।

4ण प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतू आव यक धनरा ाि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई है।

5ण **भाुद्व वर्तमान मूल्यः**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दि ाा निर्दे ाों के अनुसार भाुद्व वर्तमान मूल्य की रा ाी Adhoc CAMPA में जमा करवा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) ाुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनरा ि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

6ण राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदे ा दिनांक

08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदे ा में यह भी स्पष्ट किया है कि ने ानल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओद ा लागू नहीं होगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में 67 पेडों का पातन किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

8. एफ0आर0ए0 2006 की पूर्ण अनुपालना संम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिि चित की जाएगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

9. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तवित क्षेत्र के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर जंहा भी सम्भव होगा अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को रोपित किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निि चत दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर दी गई है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आव यकता नहीं है।

13. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक ि ाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदूर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दे ाानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

17. परियोजना कार्य के निशपादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदंर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

20. केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं की जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

21. इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन (संरक्षण), 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दि ाानिर्दे ा फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

22. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरंक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित भार्तें लागू होगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

23. इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे ा/अनुदे ा आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधीन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

25. अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by

Sanjay Sood

Date: 24-01-2026 16:59:42

नोडल अधिकारी एवं मु0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0